

बोरवेल से होने वाली मौतों को रोकने के लिये वधियक

चर्चा में क्यों?

मध्य प्रदेश सरकार एक वधिकि प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया में है, जसि भारत में अपनी तरह का पहला कानून माना जा रहा है, जसिका उद्देश्य खुले बोरवेल से होने वाली मौतों को रोकना है।

- पछिले सात महीनों में मध्य प्रदेश में नौ से अधिक ऐसी घटनाएँ दर्ज की गई हैं।

मुख्य बढि:

- सुझाए गए कानून में ऐसी आपदाओं को रोकने, ऐसी आपदा होने पर इससे कसि प्रकार नपिटना है और जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया के बारे में वशिष नरिदेश होंगे।
- वधियक में खुले और सूखे बोरवेल की पहचान कर उन लोगों पर भारी जुर्माना लगाने की बात कही गई है जो उन्हें बंद करने या भरने में वफिल रहते हैं, जसिसे बोरवेल खतरे का कारण बन जाते हैं।
- अगर बोरवेल नजिी ज़मीन पर है, तो ज़मीन के मालकि पर जुर्माना लगाया जाएगा। अगर यह सरकारी ज़मीन है, तो संबंढति वभिाग और अधकिारी को दंडति कया जाएगा।
 - दूसरे चरण में अगर कोई व्यक्ति खुले बोरवेल में गरिता है, तो आरोपी के खलिाफ आपराधकि मामला दर्ज कया जाएगा। अभी तक, आरोपी पर लापरवाही का मामला दर्ज कया जाता है। नए कानून के तहत, आरोपी पर भारतीय दंड संहति (IPC) की धाराओं के तहत मामला दर्ज कया जाएगा।
- भूमालकि या सरकारी अधकिारी के अलावा बोरवेल खोदने वाली एजेंसी की भी ज़मिमेदारी तय की जाएगी।
- नागरकिों के लयि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी, जसिसे वे खुले बोरवेल के बारे में सरकार को सूचति कर सकें, ताकनिवारक कार्रवाई की जा सके।